



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273558
CG-DL-E-18062026-273558

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3024]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3024]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3145(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तेलंगाना राज्य के NH-163 के हैदराबाद-भुपालपटनम सेक्शन पर पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु, मुलुगु में NH-163 के कि.मी. 198.700 कि.मी. से 199.400 तक के लिए ऑफिस ऑफ रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर मुलुगु को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गाँवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-163 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	रेवेन्यु डिविजनल ऑफिसर मुलुगु	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-163 के कि.मी 198.7 से कि.मी 199.4 तक	तेलंगाना	मुलुगु	वैकटपुर	1 वैकटपुर

[फा. सं. EE/R&B/NHW-163/205 dt 27.05.2026]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

S.O. 3145(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, Districts, Taluk and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule by Office of Revenue Divisional officer Mulugu in Mulugu district, for Km. 198.700 to Km. 199.400 on NH-163 for upgradation to 2 laning with paved shoulders of Hyderabad- Bhupalapatanam section of NH-163 in the State of TELANGANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-163 in the State of TELANGANA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Revenue Divisional officer Mulugu	NH-163 KM 198.7 TO KM 199.4	TELANGANA	Mulugu	Venkatapur	1 Venkatapur

[F. No. EE/R&B/NHW-163/205 dt 27.05.2026]

SHAIKH AMINKHAN, Director